कार्यालय परिवहन आयुक्त उत्तराखण्ड,
कुल्हान, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून।

संख्या– /स0सु0/ई–15686/1–8(43)/2025 दिनांक जुलाई, 2025

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।

विषयः–टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022 के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र दिनांक 31–07–2023, प त्र दिनांक 25–09–2023, पत्र दिनांक 27–03–2024, पत्र दिनांक 20–09–2024 एवं पत्र दिनांक 29–10–2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिनके अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा की गई अपेक्षा एवं अधिसूचना संख्या–163(अ) दिनांक 25–02–2022 द्वारा निर्गत ''टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022'' की प्रति संलग्न करते हुए हिट एवं रन मामलों में प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया है।

2. मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या–295/2012 एस0राज शेखरन बनाम भारत सरकार एवं अन्य में दिनांक 12–01–2024 (सारांश संलग्न) को हिट एण्ड रन योजना के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु दिशा–निर्देश निर्गत किए जाने, योजना के व्यापक प्रचार–प्रसार करने, जिला स्तर पर समिति गठित करने के संबंध में निर्देश दिए गए हैं, जिसके अनुपालन में सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निर्देश प्रसारित किये गये हैं।

3. दिनांक 07–01–2025 को मा0 मंत्री, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में सम्पन्न बैठक में भी उक्त योजना को राज्यों में प्रभावी तरीके से लागू किये जाने के निर्देश दिये गये है। इसके अतिरिक्त निदेशक (एम0वी0एल0), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27–01–2025 के अन्तर्गत उत्तराखण्ड राज्य में लम्बित प्रकरणों की सूची संलग्न कर प्रेषित की गयी है, जिसके अनुसार हरिद्वार, देहरादून, ऊधमसिंहनगर, पिथौरागढ़ एवं टिहरी जनपदों में हिट एण्ड रन के लम्बित प्रकरणों की सूची संलग्न करते हुए उक्त प्रकरणों के शीघ्र निस्तारण की अपेक्षा की गई है।

4. हिट एण्ड रन प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में कतिपय जनपदों से प्राप्त जिज्ञासाओं के संबंध में समय–समय पर निर्गत निर्देशों को संकलित करते हुए पुनः इस

अनुरोध के साथ निम्नवत् उद्धृत किया जा रहा है कि कृपया तद्नुसार प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण कराने का कष्ट करें, ताकि हिट एण्ड रन के मामलों में प्रभावित दुर्घटना पीड़ितों के परिवारों को ससमय अर्थिक सहायता प्रदान की जा सकेः–

(1) मोटरयान अधिनियम, 1988 (यथा संशोधित 2019) की धारा–161 के अन्तर्गत हिट एण्ड रन के मामलों में किसी व्यक्ति की मृत्यु होने पर मृतक आश्रित को रूपये 2.00 लाख तथा गंभीर रूप से घायल होने के मामले में प्रभावित व्यक्ति को रूपये 50 हजार की आर्थिक सहायक प्रदान किए जाने की व्यवस्था की गई है।

(2) अधिसूचना संख्या–162(अ) दिनांक 25–02–2022 के अन्तर्गत सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा केन्द्रीय मोटरयान (मोटरयान दुर्घटना निधि) नियम, 2022 प्रख्यापित किया गया है, जिसके अन्तर्गत हिट एण्ड रन के प्रकरणों के लिए भी उक्त निधि में व्यवस्था की गई है।

(3) मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 161 की व्यवस्था के आधार पर अधिसूचना संख्या–163(अ) दिनांक 25–02–2022 के अन्तर्गत ''टक्कर मारकर भागना मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022'' प्रख्यापित की गई है, जिसके अन्तर्गत हिट एण्ड रन के प्रकरणों के निस्तारण के लिए दावा निपटान आयुक्त, जिलास्तरीय समितियों का गठन, जिला स्तरीय समितियों के कार्य बैठकें, दावा आवेदन की रीति, दावा जॉच अधिकारी द्वारा अपनायी जाने वाले प्रक्रिया एवं दावा निपटान आदि के संबंध में व्यवस्था दी गई है। उक्त योजना दिनांक 01–04–2022 से प्रभावी है।

(4) उपरोक्त स्कीम के पैरा–11 में विहित व्यवस्था के अन्तर्गत परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या–140245/ix–1/195/2004 टीसी दिनांक 24–07–2023 के अन्तर्गत समस्त जनपदों में दावा निपटान आयुक्त/जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिलास्तरीय समिति का गठन किया गया है। उक्त समिति में संबंधित जनपदों के पदेन सदस्यों के अतिरिक्त जिलाधिकारी द्वारा सड़क सुरक्षा के क्षेत्र में संलग्न किसी स्वैच्छिक सेवा संस्था के एक प्रतिनिधि को भी सदस्य नामित किये जाने की व्यवस्था रखी गई है। उक्त समिति में साधारण बीमा परिषद द्वारा नाम निर्दिष्ट अधिकारी को सदस्य सचिव नामित किया गया है, जनपदवार बीमा कम्पनियों के नामित सदस्यों का विवरण साधारण बीमा परिषद की वैबसाईट https://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/ के DLC Members for North zone- The Oriental Insurance Co Ltd लिंक पर उपलब्ध है।

(5) योजना के क्रियान्वयन हेतु साधारण बीमा परिषद को नोडल एजेन्सी बनाया गया

है। उक्त योजना के अन्तर्गत दावा हेतु आवेदन, निपटान आदि के संबंध में विस्तृत विवरण परिषद की वैबसाईट https://www.gicouncil.in/insurance-education/hit-and-run-motor-accidents/ पर उपलब्ध है। साधारण बीमा परिषद के ई–मेल पत्र दिनांक 16–10–2024 के अनुसार हिट एण्ड रन के दावों के निस्तारण हेतु जी.आई. काउन्सिल द्वारा ऑनलाईन पोर्टल बनाया गया है तथा दिनांक 31–10–2024 के उपरान्त सभी प्रकरणों का व्यवहरण केवल ऑनलाईन पोर्टल के माध्यम से ही किया जाना है। अतः उक्त पोर्टल पर जनपदवार लॉग–इन आईडी एवं पासवर्ड के जेनरेशन के लिए सभी जनपदों से 02 कार्मिकों (1- The person who will do data entry, 2- Another person who will check the entered data and submit the same on the portal) के ई–मेल आईडी, सम्पर्क नम्बर, नाम, जनपद का नाम की सूचना एक्सेल शीट में इस कार्यालय तथा जी.आई. काउन्सिल की मेल आईडी Vasudha@gicouncil.in पर उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई थी, जिसके क्रम में सभी जनपदों से सूचना अपेक्षित है।

(6) परिवहन आयुक्त कार्यालय के कार्यालयादेश संख्या–43247/प्रवर्तन/स0सु0/1–8(43) /2023 दिनांक 18–11–2023 के अन्तर्गत उक्त योजना के कार्यान्वयन एवं विभिन्न हितधारकों के बीच बेहतर समन्वय हेतु श्री राजीव कुमार मेहरा, उप परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड को राज्य स्तरीय समन्वयक नामित किया गया है।

(7) निदेशक (एमवीएल), सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र दिनांक 27–05–2024 के अर्न्तगत एक एस0ओ0पी0 निर्गत करते हुए तद्नुसार प्रक्रिया का अनुसरण करने की अपेक्षा की गई है। उक्त एस0ओ0पी0 के अन्तर्गत जिला स्तर से अपेक्षित कार्यवाही का संक्षिप्त विवरण निम्नवत् हैः–

a. The District Superintendent of Police shall nominate an officer (not below the rank of Deputy Superintendent of Police) who shall compile a list of hit-and-run road accidents uploaded on the eDAR application (erstwhile IRAD) for that district.

b. The nominated officer shall submit the compiled list to the District Collector on a fortnightly basis.

c. The District Collector shall nominate an officer (not below the rank of Additional Collector) who shall be responsible for liaisoning with the Sub-Divisional Officer, Tehsildar, or any other officer in charge of the revenue sub-division of a Taluka of that district, and ensure that the eligible claimants can avail compensation under the Scheme promptly.

d. The District Collector shall submit a compliance report to the ACS/Principal Secretary/ Secretary (Transport) on amonthly basis,

comparing the overall number of hit-and-run cases reported on eDAR for that district and the number of cases in which compensation under the Scheme has been sanctioned.

(8) भारत सरकार द्वारा दावा प्रकरणों के निस्तारण के संबंध में निर्धारित प्रक्रिया को एक हैण्डबुक के रूप में संकलित किया गया है, जिसकी प्रति सभी जनपदों को इस कार्यालय के पत्र संख्या–110768/स0सु0/1–8(43)/ई–15686/2024 दिनांक 02–09–2024 के माध्यम से प्रेषित की गई है। इसके अतिरिक्त दावा निस्तारण संबंधी प्रक्रिया का एक फ्लो–चार्ट और जन जागरूकता हेतु एक पोस्टर का आलेख भी उपलब्ध कराया गया है। यह भी अपेक्षा की गई है कि राज्य परिवहन निगम के वाहनों, अन्य सार्वजनिक बसों/यात्री वाहनों के माध्यम से भी उक्त योजना के प्रचार–प्रसार से लोगों को जानकारी प्रदान करायी जा सकती है। साथ ही इस आशय के सांकेतिक सूचना पट्ट बस स्टॉप, परिवहन कार्यालयों, थानों आदि में प्रदर्शित किए जाने से अधिकतम प्रसार हो सकेगा। उक्त फ्लो–चार्ट एवं पोस्टर की प्रति भी इस आशय से संलग्न की जा रही है कि कृपया तद्नुसार उक्त सामग्री का उपयोग स्थानीय स्तर पर दावा निस्तारण एवं प्रचार–प्रसार हेतु किया जा सके।

उल्लेखनीय है कि भारत सरकार एवं सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी के स्तर से समय–समय पर उक्त योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा की जा रही है। अतः सन्दर्भित अधिसूचनाओं, आदेशों, मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रसारित निर्देशों का सारांश, एस0ओ0पी0, फ्लो–चार्ट एवं पोस्टर के आलेख की प्रति इस अनुरोध के साथ संलग्न कर प्रेषित किए जा रही है कि कृपया तद्नुसार योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार कराने और प्रकरणों का समयबद्ध निस्तारण किए जाने तथा प्रतिमाह की गई कार्यवाही की सूचना/आख्या संलग्न प्रारूप में उपलब्ध कराने हेतु संबंधित को निर्देशित करने का कष्ट करें

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त/
अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा लीड एजेन्सी,
उत्तराखण्ड।

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:37 pm

2. सचिव, साधारण बीमा परिषद, पंचम तल, नेशनल इंश्यारेन्स बिल्डिंग, 14, जमशेदजी टाटा रोड़, चर्चगेट, मुम्बई–400020
3. सचिव, परिवहन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
4. पुलिस महानिरीक्षक/निदेशक यातायात, उत्तराखण्ड, देहरादून।
5. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड।
6. प्रबन्ध निदेशक, उत्तराखण्ड परिवहन निगम, उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. मण्डलायुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ मण्डल।
8. समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, उत्तराखण्ड।
9. समस्त संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन एवं सड़क सुरक्षा), उत्तराखण्ड।
10. समस्त सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

(सनत कुमार सिंह)
संयुक्त परिवहन आयुक्त/
अध्यक्ष, सड़क सुरक्षा लीड एजेन्सी,
उत्तराखण्ड।

टक्कर मारकर भागना (हिट एण्ड रन) मोटरयान दुर्घटना पीड़ित प्रतिकर स्कीम, 2022

मासिक सूचना का प्रारूप

क्रम संख्या	जनपद का नाम	जिलास्तरीय समिति गठित है अथवा नहीं	माह की प्रथम तिथि को लंबित प्रकरणों की संख्या	माह में प्राप्त प्रकरणों की संख्या	30 दिवस की अवधि के भीतर जी0आई0 काउन्सिल को प्रेषित प्रकरणों की संख्या	30 दिवस की अवधि के उपरान्त जी0आई0 काउन्सिल को प्रेषित प्रकरणों की संख्या	माह के अन्त में लंबित प्रकरण
1	2	3	4	5	6	7	8

File No. TCOUK-RS01-8(43)/1/2023-TPTUK-TRANSPORT COMMISSIONER (Computer No. 15686)
Generated from eOffice by AKHILESH RAJ, TCO-JA-AKHILESH, JUNIOR ASSISTANT, TRANSPORT COMMISSIONER on 05/08/2025 12:37 pm